वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला,दैनिक जागरण,हिंदुस्तान,आज,न्यायाधीश ,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 19.07.2025

वीडीए का प्री-डीसीआर सॉफ्टवेयर बंद

वाराणसी। विकास प्राधिकरण का प्री-डीसीआर सॉफ्टवेयर अस्थायी रूप से 30 सितंबर तक बंद रहेगा। मानचित्र सीधे ऑनलाइन आवेदन होकर प्राधिकरण में प्रेषित होंगे। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स–2025 के अनुपालन में इसका निर्णय लिया गया है। इस अवधि में मानचित्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन उन पर सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित परीक्षण नहीं किया जाएगा। संवाद

अमर उजाला –दि0 19.07.2025

वीडीए उपाध्यक्ष ने किया सांस्कृतिक संकुल का दौरा

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को पद्मभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल का निरीक्षण किया। उन्होंने संकुल में संचालित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए बुकिंग रजिस्टर चेक किया। इस दौरान सीसी कैमरों का रिकॉर्ड न्यूनतम तीन माह तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।

सांस्कृतिक संकुल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संबंधित अधिकारी को व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी को महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सचिव डॉ. वेद प्रकाश, अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा एवं नगर नियोजक प्रभात कुमार उपस्थित रहे। संवाद

दैनिक जागरण–दि0 19.07.2025

मानचित्र के लिए आवेदन होगा आनलाइन

वाराणसी : विकास प्राधिकरण के नगर नियोजक प्रभात कुमार ने बताया कि मुख्यालय (लखनऊ) में साफ्टवेयर बंद रहेगा लेकिन मानचित्र आवेदन आनलाइन होगा। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस–2025 के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। आनलाइन भवन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली के अंतर्गत प्रयुक्त साफ्टवेयर को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। यह व्यवस्था 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। (जासं)

दैनिक जागरण–दि0 19.07.2025

वीडीए ने नगवां में सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी : विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा के निर्देश पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड के सामने घाट पुल के नीचे वैष्णवी इंटरप्राइजेज की ओर से एचएफएल क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा था। उक्त भवन सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। (जासं)

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि0 19.07.2025

वीडीए ने बुलडोजर से तोड़ी 15 बीघा अवैध प्लाटिंग

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर गुरुवार को अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन पांच के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि मुगलसराय वार्ड के हिनौली गांव में वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए 15 बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग हो रही थी। कालोनाइजर को नोटिस जारी करने के साथ वीडीए से ले-आउट पास कराने को कहा गया था लेकिन उसने नजर अंदाज कर दिया। बुलडोजर से सभी बाउंड्री को तोड़ दिया गया। (जासं)

दैनिक जागरण–दि0 19.07.2025

पद्मभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल का निरीक्षण करते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सचिव डा. वीपी मिश्रा व अन्य ● स्रोतः वीडीए

पद्मभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल की व्यवस्थाएं करें दुरुस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग गुरुवार को पद्मभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल पहुंचे। उपाध्यक्ष ने सचिव डा. वीपी मिश्रा के साथ अंदर और बाहर निरीक्षण करने के साथ संचालन व्यवस्था के बारे में पूछा। बुकिंग रजिस्टर देखने के साथ व्यवस्थाओं के बारे में संचालक से एक-एक कर पूछा। उपाध्यक्ष ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे में कम से कम तीन माह रिकार्डिंग स्टोर रहे। सांस्कृतिक हाल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। वीडीए की ओर से नामित अधिकारी माह में कम से कम एक बार स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा व नगर नियोजक प्रभात कुमार आदि मौजूद थे।

हिन्दुस्तान–दि0 19.07.2025

स्वीकृति को नक्शा सीधे वीडीए जाएगा

वाराणसी। अब वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने में पहले के मुकाबले कम समय लगेगा। शासन के निर्देश पर प्री डीसीआर सॉफ्टवेयर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जिससे मानचित्र सीधे ऑनलाइन माध्यम से प्राधिकरण पहुंचेंगे।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोन प्रावधान 2025 के पालन के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है। सॉफ्टवेयर के कारण अक्सर आवेदन के बाद लंबे समय तक स्वीकृति नहीं मिलती थी। तकनीकी खराबी से यह समस्या होती थी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि यह व्यवस्था 30 सितंबर 2025 तक अथवा अगले आदेश तक लागू मानी जाएगी।

न्यायाधीश–दि0 19.07.2025

वाविप्रा द्वारा 15 बीघे में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-5,वार्ड- मुगलसराय के अंतर्गत 15 बीघे में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-मुगलसराय, ग्राम-हिनौली, के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए 15 बीघे में अवैध प्लाटिंग किया गया, जिसके विरुद्ध पूर्व में नोटिस की कार्यवाही करते हुए प्लाटिंगकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद प्लाटिंगकर्ता द्वारा न तो कोई सक्षम स्वीकृति प्रस्तुत किया गया न ही कोई ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल किया गया है। अतः आज दिनांक 18/07/2025 को 30 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियंता अशोक कुमार यादव तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना लेआउट/मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 19.07.2025

Pre-DCR सॉफ्टवेयर रहेगा अस्थायी रूप से बंद

मानचित्र सीधे ऑनलाइन आवेदन होकर प्राधिकरण में प्रेषित होंगे

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन भवन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली (Online Building Plan Approval System - OBPAS) के अंतर्गत प्रयुक्त Pre-DCR सॉफ्टवेयर को अस्थायी रूप से बंद किया गया है।यह व्यवस्था 30 सितंबर, 2025 तक प्रभावी रहेगी अथवा अगले आदेश तक लागू मानी जाएगी।इस अवधि में मानचित्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएंगे, किंतु उन पर सॉफ़्टवेयर द्वारा स्वचालित परीक्षण (scrutiny) नहीं किया जाएगा। सभी प्रस्तावित मानचित्र प्रत्यक्ष रूप से प्राधिकरण को प्राप्त होंगे और मैनुअल परीक्षण के उपरांत नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी।यह निणन्य उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 के अनुरूप सॉफ़्टवेयर में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन किए जाने के उद्देश्य से लिया गया है।

न्यायाधीश–दि0 19.07.2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संगीत पथ का निरीक्षण

कार्य की सराहना के साथ दिये समरूप विकास के निर्देश

वाराणसी । उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित 'संगीत पथ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पथ की संरचना, सौंदर्यीकरण एवं सांस्कृतिक तत्वों के समावेशन की सराहना की।'संगीत पथ' वाराणसी शहर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक संगीत, स्थापत्य कला और आधुनिक तकनीक का समन्वय प्रस्तुत करता है। यह पथ न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि वाराणसी की अन्य प्रमुख सड़कों का भी विकास इसी गुणवत्ता और अवधारणा के अनुरूप किया जाए, जिससे सम्पूर्ण शहर की पहचान और गरिमा को और सशक्त बनाया जा सके।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 19.07.2025

सांस्कृतिक संकुल का निरीक्षण माह में दो बार करना आवश्यक

पद्मभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल का निरीक्षणके बाद विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आवश्यक कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया प्रमुख तौरपर उन्होंने व्यवस्था को देख रहे अधिकारियों को बुकिंग रजिस्टर का नियमित निरीक्षण, सीसी टीवी कमरों का रेकार्ड तीन माह तक सुरक्षित रखने, सांस्कृतिक हाल के उपयोग का बढ़ावा देने एवं प्राधिकरणके नामित अधिकारी कमसे कम दो बार औचक निरीक्षण करें जिससे कि वहां की गड़बड़ी प्रकाश में आ सके। उल्लेखनीय है कि मुख्य मंत्री के कार्यक्रम के बाद विप्रा उपाध्यक्ष ने पद्मभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल को लेकर अधिकारियों और संचालक से आवश्यक बातचीत कर रहे थे।

मानचित्र के आधार पर भवनों का निरीक्षण होगा मैनुअल

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि और आदर्श जोनिंग रेगुलशन २०२५ के अनुपालन में प्री डीसीआर साफ्टवेयर को स्थायी रूपसे बंद कर दिया। यह व्यवस्था ३० सितम्बर २०२५ तक प्रभावी रहेगी। शासन के निर्देशानुसार इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। भवन निर्माण में मानचित्र की स्वीकृत करानेके लिए भू स्वामियों को आनलाइन पोर्टल के माध्यम से मानचित्र दाखिल करना होगा। लेकिन साफ्टवेयर स्वचालित प्रशिक्षण नहीं करेगा। सभी प्रस्तावित मानचित्र प्रत्यक्ष रूप में प्राधिकरण को प्राप्त होंगे जिसका नियमानुसार मैनुवल प्रशिक्षण किया जायेगा। इस संबंध में विकास प्राधिकरणके एक अधिकारी ने बताया कि शासन ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन २०२५ के अनुरूप साफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन करने के उद्देश्य से यह निर्देश लागू किया है।

आज–दि0 19.07.2025

प्लाटिंगपर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देश पर मुगलसराय में १५ बीघे प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वार्ड मुगलसराय ग्राम हिनौली में एक काश्तकार बिना ले आउट स्वीकृत कराये १५ बीघे जमीनपर प्लाटिंग करा रहा था। शिकायत के आधारपर मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता अशोक कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिस के देखरेख में प्रवर्तन दल ने जेसीबी के माध्यम से प्लाटिंगपर हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया।